मध्यस्थता

विवाद समाधान की एक विधि

समय की मांग

हिमाचल प्रदेश
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, शिमला

मध्यस्थता क्या है ?

- मध्यस्थता विवादों को निपटाने की सरल एवं निष्पक्ष प्रक्रिया है।
- विभिन्न पक्ष अपने विवाद को सभी दृष्टिकोण से मापते हैं।
- मध्यस्थता अधिकारी दवाबरहित वातावरण में विभिन्न पक्षों के विवादों का निपटारा कराता है।

मध्यस्थता में क्या होता है ?

- सभी पक्ष अपने हर मुद्दे को मध्यस्थ अधिकारी के समक्ष रख सकते हैं जिससे मध्यस्थ अधिकारी विवाद की जड़ तक पहुँच सकता है।
- सभी पक्ष अपनी इच्छा से सदभावनापूर्ण वातावरण में विवाद का समाधान निकालते हैं।

मध्यस्थ कौन हो सकता है?

- प्रशिक्षित न्यायाधीश
- प्रशिक्षित अधिवक्ता
- अन्य व्यक्ति जो निष्पक्ष मध्यस्थता के लिए पूर्णतरू प्रशिक्षित है।

मध्यस्थ प्रणाली

- मध्यस्थ सभी पक्षों को मध्यस्थता प्रक्रिया के नियमों एवं गोपनीयता के बारे में बताता है।
- विवाद के प्रति निपटारे के लिए अनुकूल वातावरण तैयार होता है।
- बातचीत से उत्पन्न विभिन्न समीकरणों को पक्षों के समक्ष रखा जाता है।
- विवाद के निवारण उपरांत सभी पक्षों के समझोते की पुष्टि होती है।
- सभी पक्षों के हितों की पहचान होती है।
- समझोते की शर्तें स्पष्ट अंकित होती हैं।

मध्यस्थता के चरण

मध्यस्थता पूर्व मुकदमेबाजी (Pre-litigation) और लंबित मुकदमे (Post-litigation) चरण पर आयोजित की जा सकती

मध्यस्थता के लिए उपयुक्त मुकदमे

मुकदमों की निम्नलिखित श्रेणियां सामान्य रूप से मध्यस्थता प्रक्रिया के लिए उपयुक्त है:

- पारिवारिक विवाद, घरेलू हिंसा, विवाह संबंधी विवाद और बच्चों के संरक्षण संबंधी विवाद आदि।
- व्यापार, वाणिज्य और अनुबंध से संबंधित मामले।
- पड़ोसियों से संबंधित विवाद।
- दीवानी मामले।

- मामूली और शमनीय आपराधिक मामले।
- चेक बाउंस संबंधित विवाद।
- मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम संबंधित मामले।
- पत्नी, बच्चों व माता पिता के खर्चे व भरण पोषण के अधिकार संबंधित मामले।

मुकदमा पूर्व मध्यस्थता के लिए विशेष कक्ष

हिमाचल प्रदेश राज्य सेवा प्राधिकरण नें मुकदमा पूर्व मध्यस्थता हेतु पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर मोटर वाहन दुर्घटना अधि. नियम संबंधित मामले, पत्नी, बच्चों व माता पिता के खर्चे व भरण पोषण के अधिकार संबंधित मामले एवं पारिवारिक विवाद, घरेलू हिंसा, विवाह संबंधी विवाद और बच्चों के संरक्षण संबंधी विवाद आदि के लिए विशेष कक्ष स्थापित किए हैं जहां पर मुकदमा पूर्व मध्यस्थता के लिए आवेदन दिया जा सकता है।

मध्यस्थता के लाभ

- विवाद का अविलम्ब व शीघ्र समाधान।
- समय तथा खर्चों की किफायत।
- न्यायालय प्रक्रिया से राहत।
- अत्यधिक सरल व सुविधाजनक प्रक्रिया।
- विवाद का हमेशा के लिए प्रभावी एवं सर्वमान्य समाधान।
- समाधान पक्षों की सहमति को महत्व।

- अनोपचारिक, निजी तथा पूर्णतरू गोपनीय प्रक्रिया।
- सामाजिक सद्भाव कायम रखने में सहायक।
- मध्यस्थ वाले मामले में कोई अपील या संशोधन नहीं होता, विवाद का अंतिम रूप से निपटारा हो जाता है।
- मध्यस्थता में विवाद निपटाने पर, वादी (Court Fees Act-1870) कोई फीस एक्ट 1870 की धारा 16 के तहत पूरा नयायालय शुल्क वापिस लेने का हकदार होता है।

विवादों से हानि

- समय की बरबादी, अंतहीन विलंभ।
- मानसिक तथा शारीरिक शांति भंग।
- धन की हानि।
- आपसी घृणा और वैमनस्य।
- तनाव की स्थिति।
- झूठे अहम को बढ़ावा।
- असंतोष।

अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क करें

उच्च न्यायालय स्तर पर

समन्वयक, मुख्य मध्यस्थता केंद्र, हिमाचल प्रदेश का उच्च न्यायालय।

दूरभाष **0177–2888379**

जिला स्तर पर

बिलासपुर

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश–174001

Tel: **01978-221452** e-mail: **secy-dlsa-bil-hp@gov.in**

चंबा

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चम्बा, हिमाचल प्रदेश–176,310

Tel: **01899-226309,** e-mail: **secy-dlsa-cha-hp@gov.in**

हमीरपुर

सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश–177,001

Tel- **01972-224399,** e-mail: **secy-dlsa-ham-hp@gov.in**

कांगड़ा

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, धर्मशाला, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश–176215

Tel- **01892-222370**, e-mail: **secy-dlsa-kan-hp@gov.in**

किन्नौर

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, किन्नौर, हिमाचल प्रदेश–172001

Tel- **01786-223605,** e-mail: **secy-dlsa-kin-hp@gov.in**

कुल्लू

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कुल्लू और लाहौल जिला, हिमाचल प्रदेश–175101

Tel- **01902-222378,** e-mail: **secy-dlsa-kul-hp@gov.in**

मंडी

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मंडी, हिमाचल प्रदेश–175001 |

Tel- **01905-223428,** e-mail: **secy-dlsa-man-hp@gov.in**

शिमला

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शिमला, हिमाचल प्रदेश–171,005

Tel- **0177-2832808,** e-mail: **secy-dlsa-shi-hp@gov.in**

सिरमौर स्तिथ नाहन

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिरमौर स्तिथ नाहन, हिमाचल प्रदेश–173001

Tel- **01702-224749,** e-mail: **secy-dlsa-sir-hp@gov.in**

सोलन

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोलन, हमाचल प्रदेश–173,212

Tel- **01792-220713,** e-mail: **secy-dlsa-sol-hp@gov.in**

ऊना

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ऊना, हमाचल प्रदेश–174,303

Tel- **01975-225071,** e-mail: **secy-dlsa-una-hp@gov.in**

मेरे संतोष की सीमा ना रही। मैंने सच्ची वकालत करना सीखा, मनुष्य–स्वभाव का उज्जवल पक्ष ढूंढ निकालना सीखें मनुष्य हृदय में पैठना–सीखा। मुझे जान पड़ा कि वकील का कर्तव्य फरीकैन के बीच में खुद ही हुई खाई को भरना है। इस शिक्षा ने मेरे मन में ऐसी जड़ जमाई कि मेरे बीस साल की वकालत का अधिक समय अपने दफ्तर में बैठे सैकड़ों मुकदमों में सुला कराने में ही बीता। इसमें मैंने कुछ खोया नहीं। पैसे के घाटे में रहा यह भी नहीं कहा जा सकता। आत्मा तो नहीं ही गंवाई।

महात्मा गांधी

(सत्य के प्रयोग अथवा आतम कथा)

हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

ब्लॉक नंबर 2, एसडीए कॉम्प्लेक्स, कसुम्पटी, शिमला, हिमाचल प्रदेश 171009

e-mail: mslegal-hp@nic.in

दूरभाष: 0177–2623862

फैक्स: 0177–2626962

टोल फ्री: 15100